न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 141/2009 निर्णय दिनांक :– 9.12.20

उनवान

1. श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संघ शिवजीराम भवन जौहरी बाजार जयपुर जरिये संघ मंत्री अनूप कुमार पारख पुत्र स्व. श्री शिवलाल जी पारख जाति ओसवाल जैन निवासी 702 यूनिक अरावली मॉनीलेक मार्ग जवाहर नगर जयपुर राज0

––वादी

बनाम

1. पुरूषोत्तम दास चेला धर्मदास जाति स्वामी निवासी चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0। (फौत दौराने दावा)

1/1. हनुमान दास चेला पुरूषोत्तम दास

1/2. रामावतार दास चेला पुरूषोत्तम दास

समस्त जाति स्वामी निवासी चाकसू तहसील/चाकसू जिला जयपुर।

2. रामेश्वार प्रसाद मामोडिया पुत्र लक्ष्मीनारायण मामोडिया

3. अनोखी देवी पत्नि रामेश्वर प्रसाद मामोडिया

समस्त जाति महाजन निवासी चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर।

4. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चाकसू जिला जयपुर राज0

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

दावा बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरस्ती रिकॉर्ड अन्तर्गत 88 व 92 (अ), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि जमाबन्दी ग्राम चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर संवत 2061 में खसरा नंबर 9600 रकबा 0.22 गैर मुमकीन मंदिर अंकित है। उक्त भूखण्ड के चारो ओर एक गुम्बद 20–22 फीट उंची पुख्ता बनी हुई है जिसका मुख्य दरवाजा पूर्व की ओर खुलता है। यह चरण श्री जिन कुशल सूरी जी प्रभावक प्राचार्य के है। जिनका स्वर्गवास संवत 1389 में हो गया। आज से 400 साल पूर्व श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार स्थापित किये गये थे। यह की उपरोक्त भूमि के चारो और निम्नालिखित भूमि है। खसरा नंबर 9530/12170, 9588/12167, 9595, 9596, 9597, 9598, 9599, 9600, 9601, 9610, 9619, 9620, 9621, 9625, 9626, 9627, 9629, 9630/12160, 9838, 9842, 9843, 9844, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850/12171, 9874, 9876, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963/12168, 9966/12169, 9967, 9967/11903, 9968, 9618, 9845, कुल किता 40 कुल रकबा 14.8700 है। जिन्हे दादाबाडी के नाम से जाना जाता है। खसरा नंबर 9619 रकबा 0.0100 डोला वाला कुआ है, खसरा नंबर 9598 रकबा 0.0200 गैरमुमकिन चाहा है एवं खसरा नंबर 9610 रकबा 0.0400 दूसरा गैरमुमकिन चाहा है जिससे उपरोक्त दादाबाडी की भूमि की सिंचाई होती आई है। इस

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

भूमि का रख रखाव श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ मंच जयपुर करता है। उपरोक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम अंकित है पूर्व में यह भूमि धर्मदास चेला गंगादास कौम स्वामी चाकसू के नाम अंकित हो गयी इसके पूर्व यह भूमि खाता संख्या 241 रकबा 76 बीघा गंगादास के नाम थी जिसे ऐसिसटेन्ट कलक्टरी जयपुर द्वारा पत्रावली संख्या 2024 दिनांक 10.05.1954 के आदेश के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित की गई। दिनांक 01.09.2009 को उपरोक्त स्थान पर दर्शनार्थ चाकसू जाने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त भूमि के प्लाट काट–काट कर बेचान कर रह है तब जाकर नकल जमाबन्दी दिनांक 01.09.2009 को संवत 2061 की निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम भी कुछ भूमि नामान्तकरण संख्या 24 व 28 के अन्तर्गत मसलन खसरा नंबर 9845 रकबा 0.51 बारानी तीन प्रतिवादी संख्या 2 के एवं खसरा नंबर 9844 रकबा 0.53 एवं खसरा नंबर 9846 रकबा 0.85 प्रतिवादी संख्या 3 के बेचान के उपरान्त अंकित है। वादी जनहितार्थ इस धार्मिक सम्पूर्ण भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का कोई कब्जा काश्त नही हैं यह भूमि श्री जिन कुशल सूरी जी प्रभावक प्राचार्य की दादाबाडी के रूप में महसूर एवं विख्यात है एवं इस धार्मिक स्थान व दादाबाडी की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम अंकन करने का अधिकार नही है। अतः वादी उपरोक्त कब्जाशुदा भूमि की धार्मिक स्थान के नाम से घोषणा कराने तथा रिकॉर्ड में दुरूस्ती कराने का वैधानिक अधिकार रखता है। भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा तैयार किया गया क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र गलत

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

तैयार किया गया है एवं 400 वर्ष पुराने इस धार्मिक स्थान व दादाबाडी भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में न कर अन्य व्यक्तियों का अंकन गलत किया गया हैं यह कि संवत 2061 की जमाबन्दी दिनांक 01.09.2009 को प्राप्त करने पर यह समस्त जानकारी हुई है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के द्वारा रिकार्ड के आधार पर वादी के कब्जे काश्त में तथा उपयोग व उपभोग में दखल करने व भूमि को हस्तानान्तरण करने तथा प्रार्थी को बेदखल करने की प्रबल संभावना है ऐसी अवस्था में प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 3 को निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित कराया जाना आवश्यक है।

अनुतोषः– उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की डिकी घोषणा खातेदारी वादी के नाम पारित की जावें। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को निम्नांकित खसरा नंबर के वादी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी व उपयोग व उपभोग में बाधा नही कराने हेतु प्रतिबंधित किया जावें। खसरा नंबर 9530/12170, 9588/12167, 9595, 9596, 9597, 9598, 9599, 9600, 9601, 9610, 9619, 9620, 9621, 9625, 9626, 9627, 9629, 9630/12160, 9838, 9842, 9843, 9844, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850/12171, 9874, 9876, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963/12168, 9966/12169, 9967, 9967/11903, 9968, 9618, 9845, कुल किता 40 कुल रकबा 14.8700 है0 है। सं. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को प्रतिबंधित किया जावे कि खसरा नंबर 9600 रकबा 0.22 गैरमुमकिन मन्दिर एवं उनके नाम से प्रचलित दादाबाडी उपरोक्त भूमि के उपयोग व उपभोग में वादी को किसी तरह की दखलअन्दाजी नही करें न कोई बाधा डाले, न कोई कब्जा काश्त करे न कोई आवागमन में दखलअन्दाजी करें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

दावा वादी की ओर से वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी तो प्रतिवादी की तरफ से वकील श्री लौकेश शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया व दावे का जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की ओर से पेश किया गया। जवाब दावा पेश होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच में राजीनामा दिनांक 12.11.2020 को हुआ जो राजीनामा इस प्रकार हुआ कि उक्त प्रकरण में पक्षकारों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। राजीनामा अनुसार वादग्रस्त ख.न 9600 गै.मु. मन्दिर रकबा 0.22 है0 आसोलाई चाकसू में से हिस्सा 10/22 अर्थात 0.10 है0 (1172 व.ग) की खातेदारी प्रतिवादी श्री हनुमानदास आसोलाई चाकसू के नाम से हटाई जाकर वादी को इसका खातेदार घोषित किया जायेगा। उक्त खसरे को दोनों पक्षों ने मौके पर बांट लिया है तथा मौके पर पुख्ता निर्माण कर लिया है जिस बंटवारे व निर्माण को दर्शाने के लिये एक नजरी नक्शा व मौके के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जा रहे है, जो राजीनामा का भाग रहेगें तथा इसी प्रकार भविष्य में दोनों पक्ष अपनी–अपनी भूमि/हिस्से का उपयोग उपभोग कर सकेगें। इसमे किसी भी पक्ष का ऐतराज भविष्य में मान्य नही होगा। उक्त ख.न 9600 के अलावा शेष वाद वादी विड्रा कर रहा है तथा शेष वाद को विड्रा के आधार पर खारिज करवाना चाहता है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख.स 9600 गै.मु मन्दिर में हिस्सा 10/22 अर्थात 0.10 है0 (1172 व.ग) की घोषणा खातेदारी की डिकी पारित की जाकर वादी को खातेदार काश्तकार (श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संघ, (रजि) जयपुर को घोषित किया जावे तथा शेष वाद विड्रा के आधार पर निर्णय किया जावे तथा भविष्य में दोनों पक्ष

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

संलग्न नक्शे अनुसार अपना–अपना उपयोग–उपभोग करते रहेगें तथा दूसरा पक्ष एक–दुसरे को बाधा उत्पन्न नही करेगें। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जावें। श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संघ (रजि) जयपुर का नक्शे वाली भूमि पर 1172 वर्ग गज के अलावा भविष्य में ओर किसी का कोई दावा नही रहेगा।

राजीनामा पेश होने पर राजीनाम तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व बहस दावा पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वादी व प्रतिवादी वकील द्वारा दावा वादी मुताबिक राजीनामे के अनुसार डिकि किया जाना जाहिर किया गया। पक्षकारान वकील की बहस पर गोर किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजीनामा का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त ख.न 9600 गै.मु मन्दिर रकबा 0.22 है0 आसोलाई चाकसू की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1/1 हनुमानदास आसोलाई चाकसू के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, संम्वत 2061 में ख.न 9600 रकबा 0.22 है0 गै.मु अंकित है उक्त भूखण्ड के चारो तरफ एक गुम्बद 20–22 फीट उची तरत बनी हुई हैं यह चरण श्री जिन कुशल सूरी जी प्रभावक प्राचार्य के है जिनका स्वर्गवास संम्वत 1389 में हो गया। आज से 400 साल पूर्व श्वैताम्बर परम्परा के अनुसार स्थापित किये गये थे। उक्त भूमि पूर्व में धर्मदास चेला गगांदास स्वामी चाकसू के नाम असिसटेन्ट कलक्ट्री जयपुर द्वारा पत्रावली संख्या 2024 दिनांक 10.05.1954 के अन्तर्गत अंकित हो गयी जबकि उक्त भूमि में 400 साल पुर्व से ही चरण श्री जिन कुशाल सूरी श्री प्रभाव प्राचार्य के बने हुये है जो दादा बाडी के नाम से विख्यात है जिस बाबत वादी व प्रतिवादी संख्या 1/1 के मध्य राजीनामा पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

गया कि ख.न 9600 गै.मु मन्दिर में हिस्सा 10/22 अर्थात 0.10 है (1172 व.मी) की घोषणा खातेदारी वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा शेष वाद में अंकित वादग्रस्त खसरा नंबर व शेष वाद विड्रा किया जावें दोनो पक्ष संलग्न नक्शे अनुसार अपना अपना उपयोग करते रहेगे तथा इसरा पक्ष एक दुसरे को बाधा उत्पन्न नही करेगे। इस प्रकार दोनो पक्षों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से व राजीनामें अनुसार दावा वादी डिक्रि किये जाने से सहमति दिये जाने से दावा वादी मुताबिक राजीनामें के अनुसार डिक्रि किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्रि किया जाकर वादग्रस्त भूमि ख.न 9600 गै.मु मन्दिर रकबा 0.22 है0 आसोलाई चाकसू मे से हिस्सा 10/22 अर्थात 0.10 है0 (1172 व.ग) की खातेदारी प्रतिवादी श्री हनुमानदास आसोलाई चाकसू के नाम से हटाई जाकर वादी को ख0न0 9600 रकबा 0.22 है0 मे से हिस्सा 10/22 अर्थात 0.10 है0 (1172 व.भी) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी के नाम व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। ख.न 9600 के अलावा शेष वाद वादी मुताबिक राजीनामा अनुसार विड्रा किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा में शेष वाद विड्रा किये जाने से शेष वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्रि जारी हो निर्णय व डिक्रि का राजीनामा भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)